# अनुदान संख्या 1 – क षि और सहकारिता विभाग
# GRANT No. 1–DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND CO-OPERATION

| | | | | कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) |
| **राजस्व:** | **Revenue:** | | | | | |
| स्वीक त- | Voted– | | | | | |
| मूल | Original | 10455,20,00 | | 10735,62,00 | 10039,00,46 | –696,61,54 |
| पूरक | Supplementary | 280,42,00 | | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | | 529,22,05 |
| **पूंजीगत:** | **Capital:** | | | | | |
| *प्रभारित-* | *Charged–* | | | *188,80,00* | . . | *–188,80,00* |
| *वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि* | *Amount surrendered during the year* | | | | | *188,80,00* |
| स्वीक त- | Voted– | | | | | |
| मूल | Original | 90,45,00 | | 156,13,00 | 136,29,03 | –19,83,97 |
| पूरक | Supplementary | 65,68,00 | | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | | 14,03,00 |

***टीका और टिप्पणियां***

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (69661.54 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 28042.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 6 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

***Notes and comments***

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.69661.54 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.28042.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and constituted 6 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |
| मुख्य शीर्ष ''3451'' सचिवालय - आर्थिक सेवाएं | Major Head "3451" Secretariat - Economic Services | | | | |
| मू. | O. | 3925.00 | | | |
| पू. | S. | 864.00 | 5114.45 | 4941.94 | –172.51 |
| पु. | R. | 325.45 | | | |
| मुख्य शीर्ष ''2401'' फसल कृषि कर्म | Major Head "2401" Crop Husbandry | | | | |
| मू. | O. | 650021.00 | | | |
| पू. | S. | 13642.00 | 686322.31 | 670421.25 | –15901.06 |
| पु. | R. | 22659.31 | | | |
| मुख्य शीर्ष ''2425'' सहकारिता | Major Head "2425" Co-operation | | | | |
| मू. | O. | 7900.00 | 8500.00 | 8500.00 | . . |
| पु. | R. | 600.00 | | | |
| मुख्य शीर्ष ''2435'' अन्य कृषि कार्यक्रम | Major Head "2435" Other Agricultural Programmes | | | | |
| मू. | O. | 17185.00 | | | |
| पू. | S. | 660.00 | 21307.99 | 21124.99 | –183.00 |
| पु. | R. | 3462.99 | | | |
| मुख्य शीर्ष ''2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र | Major Head "2552" North Eastern Areas | | | | |
| मू. | O. | 65500.00 | | | |
| पू. | S. | 2.00 | . . | . . | . . |
| पु. | R. | –65502.00 | | | |

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments | | | | |
| मू. | O. | 298049.00 | | | |
| पू. | S. | 12500.00 | 297058.37 | 296666.15 | –392.22 |
| पु. | R. | –13490.63 | | | |
| मुख्य शीर्ष ''3602'' संघ राज्य क्षेत्र. की सरकारों को सहायता अनुदान | Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments | | | | |
| मू. | O. | 1158.00 | 116.92 | 99.42 | –17.50 |
| पु. | R. | –1041.08 | | | |

(I) 99348.90 लाख रु. का प्रावधान (0.90 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) चालीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 98569.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2401'' -

(क) ''बीज - एस एफ सी आई/एन एस सी के पुनर्गठन के लिए अनुदान'' - 2100.00 लाख रु. कर्मचारी भविष्य निधि से संबंधित निगम की देयताओं का निपटान करने के लिए पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध रहने के कारण थे।

(ख) ''वाणिज्यिक फसलें - वर्षा पोषित क्षेत्र विकास कार्यक्रम'' - 2500.00 लाख रु. स्कीमों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2552'' -

(I) Provision of Rs.99348.90 lakhs (including token supplementary grant of Rs.0.90 lakh) remained wholly unutilised under forty heads; of these Rs.98569.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2401" -

(a) "Seeds – Grants to SFCI/NSC for restructuring" – Rs.2100.00 lakhs - due to availability of unspent balance of previous year towards the settlement of liabilities of the Corporation relating to Employee Provident Fund.

(b) "Commercial Crops – Rainfed Area Development Programme" - Rs.2500.00 lakhs – due to non-approval of the schemes.

(B) Major Head "2552" –

(क) ''फसल कृषिकर्म - विस्तार और कृषकों का प्रशिक्षण'' -

(i) ''राज्य विस्तार सेवाओं को सहायता'' - 3000.00 लाख रु.;

(ii) ''कृषि विस्तार को जन संचार माध्यमों का समर्थन'' - 1000.00 लाख रु.;

(iii) ''कृषि निदानशाला/कृषि व्यवसाय केंद्र'' - 150.00 लाख रु.;

(ख) ''फसल कृषि कर्म - कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी'' -

(i) ''कृषि जनगणना'' - 200.00 लाख रु.;

(ii) ''कृषि सांख्यिकी का सुधार'' - 500.00 लाख रु.;

(iii) ''कृषि आर्थिक नीति और विकास के लिए निवेश संबंधी अध्ययन'' - 500.00 लाख रु.;

(ग) ''फसल कृषि कर्म - बीज - बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण'' - 1000.00 लाख रु.;

(घ) ''फसल कृषि कर्म - खाद और उर्वरक - कार्बनिक खेती के संवर्धन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना'' - 600.00 लाख रु.;

(ङ) ''फसल कृषि कर्म - कृषि इंजीनियरी'' -

(i) ''कृषक के खेत में बागवानी उपस्कर सहित नव विकसित कृषि उपस्कर के प्रशिक्षण और निदर्शन की बाहरी स्रोतों के माध्यम से व्यवस्था करना'' - 188.00 लाख रु.;

(ii) ट्रैक्टर प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान'' - 112.00 लाख रु.;

(a) “Crop Husbandry – Extension and Farmers Training” -

(i) “Support to State Extension Services” – Rs.3000.00 lakhs;

(ii) “Mass Media Support to Agricultural Extension” – Rs.1000.00 lakhs;

(iii) “Establishment of Agri-Clinics/Agri-business Centres” -Rs.150.00 lakhs;

(b) “Crop Husbandry – Agricultural Economics and Statistics” -

(i) “Agricultural Census” – Rs.200.00 lakhs;

(ii) “Improvement of Agricultural Statistics” – Rs.500.00 lakhs;

(iii) “Studies on input for Agricultural Economic Policy and Development” – Rs.500.00 lakhs;

(c) “Crop Husbandry – Seeds – Development and Strengthening of Seed infrastructure facilities for production and distribution of seeds” – Rs.1000.00 lakhs;

(d) “Crop Husbandry - Manures and Fertilisers – National Project on Promotion of Organic Farming” –Rs.600.00 lakhs;

(e) “Crop Husbandry – Agriculture Engineering” –

(i) “Outsourcing of training and demonstration of newly developed agricultural equipment including horticulture equipment at farmer’s field” – Rs.188.00 lakhs;

(ii) “Tractor Training and Testing Institutes” – Rs.112.00 lakhs;

(च) ''फसल कृषि कर्म - वाणिज्यिक फसलें'' -

(i) ''राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन'' - 10700.00 लाख रु.;

(ii) ''वर्षा आधारित विकास कार्यक्रम'' - 3900.00 लाख रु.;

(छ) ''फसल कृषि कर्म - तिलहनों का विकास - तिलहन, तेल पाम, दालों और मक्का का एकीकृत विकास'' - 1400.00 लाख रु.;

(ज) ''फसल कृषि कर्म - बागवानी और वनस्पति फसलें'' -

(i) ''राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को सहायता अनुदान'' - 500.00 लाख रु.;

(ii) ''केंद्रीय बागवानी संस्थान की स्थापना'' - 300.00 लाख रु.;

(iii) ''पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में बागवानी के एकीकृत विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन'' - 22001.00 लाख रु. (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(iv) ''बांस प्रौद्योगिकी और व्यापार विकास संबंधी राष्ट्रीय मिशन'' - 4001.00 लाख रु. (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(झ) ''फसल कृषि कर्म - अन्य व्यय'' -

(i) ''कार्य योजना के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का संपूरण/अनुपूरण'' - 12400.00 लाख रु.;

(ii) ''कृषि सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण/संवर्धन'' - 250.00 लाख रु.;

(f) "Crop Husbandry - Commercial Crops" –

(i) "National Food Security Mission" – Rs.10700.00 lakhs;

(ii) "Rainfed Area Development Programme" – Rs.3900.00 lakhs;

(g) "Crop Husbandry - Development of Oil Seeds – Integrated Oilseed, Oil Palm, Pulses and Maize Development" - Rs.1400.00 lakhs;

(h) "Crop Husbandry – Horticulture and Vegetable Crops" -

(i) "Grants-in-aid to National Horticulture Board" - Rs.500.00 lakhs;

(ii) "Estt. of Central Institute of Horticulture" - Rs.300.00 lakhs;

(iii) "Technology Mission on Integrated Development of Horticulture in North Eastern States, Sikkim, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttaranchal" – Rs.22001.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh);

(iv) "National Mission of Bamboo Technology and Trade Development" –Rs.4001.00 lakhs.(including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh);

(i) "Crop Husbandry – Other Expenditure" –

(i) "Supplementation/complementation of States efforts through work plan" - Rs.12400.00 lakhs;

(ii) "Strengthening/promoting agricultural information system" - Rs.250.00 lakhs;

(ञ) ''अन्य कृषि कार्यक्रम - अन्य व्यय'' -

(i) ''ग्रामीण गोदामों का निर्माण'' - 700.00 लाख रु.;

(ii) ''बाजार अवसंरचना का विकास, श्रेणीकरण और बाजार मानकीकरण'' - 800.00 लाख रु.;

(ट) ''सहकारिता - सहकारी शिक्षा - शिक्षा और प्रशिक्षण की पुनर्गठित स्कीम'' - 500.00 लाख रु.; और

(ठ) ''सहकारिता - अन्य सहकारिताओं को सहायता - सहकारिताओं के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता'' - 300.00 लाख रु.।

उपर्युक्त तेईस शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - फसल कृषि कर्म - वाणिज्यिक फसलें - वर्षा पोषित क्षेत्र विकास कार्यक्रम'' - 28200.00 लाख रु.; और

(घा) मुख्य शीर्ष ''3602'' -

(क) ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - फसल कृषि कर्म - वाणिज्यिक फसलें - वर्षा पोषित क्षेत्र विकास कार्यक्रम'' - 200.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्कीमों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ख) ''संघ राज्य क्षेत्र की योजना स्कीमों के लिए अनुदान - फसल कृषि कर्म - अन्य अनुदान - राज्य योजना स्कीम

(j) "Other Agricultural Programme – Other Expenditure" –

(i) "Construction of Rural Godown" – Rs.700.00 lakhs;

(ii) "Development of Market Infrastructure, grading and Market Standardization" - Rs.800.00 lakhs;

(k) "Co-operation-Co-operative Education – Restructured scheme of education and training" – Rs.500.00 lakhs; and

(l) "Co-operation - Assistance to Other Co-operatives – Assistance to NCDC for Development of Co-operatives" – Rs.300.00 lakhs.

Provisions under the above twenty three heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(C) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Crop Husbandry – Commercial Crops – Rainfed Area Development Programme" – Rs.28200.00 lakhs; and

(D) Major Head "3602" –

(a) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Crop Husbandry – Commercial Crops – Rainfed Area Development Programme" – Rs.200.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-approval of the schemes.

(b) "Grants for Union Territory Plan Schemes – Crop Husbandry – Other

को अतिरिक्त नियंत्रण सहायता स्कीम'' - 567.00 लाख रु. प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के पास पिछले वर्षों के अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण थे।

Grants – Additional Central Assistance Scheme to State Plan Scheme" – Rs.567.00 lakhs – due to non-finalisation of proposals and availability of unspent balances of previous years with the Union Territory Governments.

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के अंतर्गत दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2401'' -

(A) Major Head "2401" –

(क) ''खाद और उर्वरक - कार्बनिक खेती के संवर्धन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना'' - 1100.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 105.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1205.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 364.46 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(a) "Manures and Fertilisers - National Project on Promotion of Organic Farming" - the original provision of Rs.1100.00 lakhs was augmented to Rs.1205.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.105.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.364.46 lakhs (including supplementary grant) - due to non-finalisation of proposals.

(ख) ''वाणिज्यिक फसलें - वाणिज्यिक फसल विकास निदेशालय'' - 197.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 39.97 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 236.97 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 42.50 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) किफायती उपायों के कारण हुई।

(b) "Commercial Crops – Directorate for Development of Commercial Crops" - the original provision of Rs.197.00 lakhs was augmented to Rs.236.97 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.39.97 lakhs. However, there was a saving of Rs.42.50 lakhs (including supplementary grant) - due to economy measures.

(ग) ''कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी - कृषि जनगणना'' - 493.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 24.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 517.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 170.65 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित)रिक्त पदों के भरे न जाने और कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(c) "Agricultural Economics and Statistics – Agricultural Census" - the original provision of Rs.493.00 lakhs was augmented to Rs.517.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.24.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.170.65 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts and receipt of less proposals.

(घ) ''तिलहनों का विकास'' -

(d) "Development of Oil Seeds" –

(i) ''तिलहन विकास निदेशालय'' - 98.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 8.91 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 106.91 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 46.69 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(i) "Directorate of Oil Seeds Development" - the original provision of Rs.98.00 lakhs was augmented to Rs.106.91 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.8.91 lakhs. However, there was a saving of Rs.46.69 lakhs (including supplementary grant) - due to non-finalisation of proposals.

(ii) ''पेड़ों से उत्पन्न होने वाले तिलहन'' - 800.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 29.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 829.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 95.00 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के भरे न जाने के कारण हुई।

(ii) "Tree Born Oilseeds" - the original provision of Rs.800.00 lakhs was augmented to Rs.829.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.29.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.95.00 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts.

(ङ) ''बागवानी और वनस्पति फसलें - नारियल संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन सहित नारियल विकास बोर्ड को सहायता अनुदान'' - 7500.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 134.00 लाख रु. पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 7634.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 1108.24 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) बोर्ड की नई परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(e) "Horticulture and Vegetable Crops – Grants-in-aid to Coconut Development Board including Technology Mission on Coconut" - the original provision of Rs.7500.00 lakhs was augmented to Rs.7634.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.134.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.1108.24 lakhs (including supplementary grant) - due to non-approval of new projects of the Board.

(खा) मुख्य शीर्ष ''2435'' - ''विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण - विपणन सुविधाएं - बाजार सर्वेक्षण, अनुसंधान और अन्वेषण'' - 752.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 50.86 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 802.86 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 126.33 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के भरे न जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(B) Major Head "2435" – "Marketing and Quality Control – Marketing Facilities – Market Survey, Research and Investigation" - the original provision of Rs.752.00 lakhs was augmented to Rs.802.86 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.50.86 lakhs. However, there was a saving of Rs.126.33 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2401'' -

(A) Major Head "2401" -

(क) ''वनस्पति संरक्षण - वनस्पति संरक्षण, संगरोध और संचयन निदेशालय'' - 5514.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 818.42 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 6332.42 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, 642.12 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(a) "Plant Protection – Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage" - the original provision of Rs.5514.00 lakhs was augmented to Rs.6332.42 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.818.42 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.642.12 lakhs; and

(ख) ''कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी'' -

(b) "Agricultural Economics and Statistics" -

(i) ''अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय'' - 938.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 189.92 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1127.92 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, 53.35 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(i) "Directorate of Economics and Statistics" - the original provision of Rs.938.00 lakhs was augmented to Rs.1127.92 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.189.92 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.53.35 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-finalisation of proposals.

(ii) ''कृषि लागत और मूल्य आयोग'' - 241.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 52.60 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 293.60 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, 32.08 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(ii) "Commission for Agricultural Costs and Prices" - the original provision of Rs.241.00 lakhs was augmented to Rs.293.60 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.52.60 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.32.08 lakhs; and

(ग) ''दलहन का विकास - दलहन विकास निदेशालय'' - 33.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 5.77 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 38.77 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, 5.76 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(c) "Development of Pulses – Directorate of Pulses Development" - the original provision of Rs.33.00 lakhs was augmented to Rs.38.77 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.5.77 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.5.76 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को भरे न जाने और किफायती उपायों के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(घ) ''बागवानी और वनस्पति फसलें - सुपारी और मसाले विकास निदेशालय'' - 95.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 24.94 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके

(d) "Horticulture and Vegetable Crops - Directorate of Arecanut and Spices Development" - the original provision of

बढ़ाकर 119.94 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, 18.08 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(खा) मुख्य शीर्ष ''2435'' - ''विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण - श्रेणीकरण और गुणवत्ता सुविधाएं'' -

(क) ''एगमार्क श्रेणीकरण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण'' - 1105.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 350.70 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1455.70 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, 121.11 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(ख) ''निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण'' - 392.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 160.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 552.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, 53.94 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें किफायती उपायों के कारण हुईं।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2401'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''खाद और उर्वरक - उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने संबंधी राष्ट्रीय परियोजना'' - 542.35 लाख रु. की बचत (2200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा संबद्ध सूचना प्रस्तुत न किए जाने की वजह से प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) ''वाणिज्यिक फसलें'' -

(क) ''राष्ट्रीय वर्षा पोषित क्षेत्र प्राधिकरण'' - 213.45 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा ईएफसी ज्ञापन को देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण हुई।

Rs.95.00 lakhs was augmented to Rs.119.94 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.24.94 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.18.08 lakhs;

(B) Major Head "2435" - "Marketing and Quality Control – Grading and Quality facilities" –

(a) "Strengthening of Agmark Grading Facilities" – the original provision of Rs.1105.00 lakhs was augmented to Rs.1455.70 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.350.70 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.121.11 lakhs; and

(b) "Export Quality Control" - the original provision of Rs.392.00 lakhs was augmented to Rs.552.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.160.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.53.94 lakhs.

Savings under the above three heads were due to economy measures.

(IV) Under Major Head "2401" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Manures and Fertilisers – National Project on promotion of balanced use of fertilizers" - saving of Rs.542.35 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2200.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposal owing to non-submission of relevant information by the implementing agencies.

(B) "Commercial Crops" –

(a) "National Rainfed Area Authority" - saving of Rs.213.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals and late approval of EFC Memo by the competent authority.

(ख) ''कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन'' - 388.56 लाख रु. की बचत (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) ''राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन'' - 11475.64 लाख रु. की बचत (99300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) ''विस्तार और कृषक प्रशिक्षण - राज्य विस्तार सेवाओं को सहायता'' - 7119.82 लाख रु. की बचत (25700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्षों के अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुईं।

(घा) ''कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी - अंतरिक्ष कृषि मौसम विज्ञान और भू-प्रेक्षण का उपयोग करते हुए कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान लगाना'' - 284.46 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ङ) ''कृषि इंजीनियरी - फसल की कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी'' - 191.82 लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) फसल कटाई पश्चात इकाइयों की स्थापना के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(चा) ''बागवानी और वनस्पति फसलें'' -

(क) ''राष्ट्रीय बागवानी मिशन'' - 8950.08 लाख रु. की बचत (110000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) ''लघु सिंचाई'' - 3000.00 लाख रु. की बचत (50000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्षों का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(b) "Technology Mission on Cotton" - saving of Rs.388.56 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs);

(c) "National Food Security Mission" - saving of Rs.11475.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.99300.00 lakhs); and

(C) "Extension & Farmers Training – Support to State Extension Services" - saving of Rs.7119.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.25700.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to availability of unspent balances of previous years with the implementing agencies.

(D) "Agricultural Economics and Statistics – Forecasting Agril. Output using Space Agro Meteorology and Land Based Observation" - saving of Rs.284.46 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificate from the implementing agencies.

(E) "Agricultural Engineering – Post Harvest Technology" - saving of Rs.191.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Indian Council of Agricultural Research for establishment of post harvest units.

(F) "Horticulture and Vegetable Crops" –

(a) "National Horticulture Mission" - saving of Rs.8950.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.110000.00 lakhs); and

(b) "Micro Irrigation" - saving of Rs.3000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.50000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to availability of unspent balance of previous years with the implementing agencies.

(छा) ''अन्य व्यय'' -

(क) ''एमआईएस/पीएसएस के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड को अनुदान'' - 12500.00 लाख रु. की बचत (50000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रतिपूर्ति के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) ''कार्य योजना (वृहत प्रबंधन) के माध्यम से राज्य प्रयासों का संपूरण/अनुपूरण'' - 248.94 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने और प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ग) ''कृषि सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण/संवर्धन'' - 450.46 लाख रु. की बचत (2250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने/कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(घ) ''राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता स्कीम) स्कीम'' - 27405.30 लाख रु. की बचत (158000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बजट पश्चात निर्णय के रूप में स्कीम तैयार किए जाने की वजह से प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''2435'' - ''विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण - अन्य व्यय - विपणन अनुसंधान, सर्वेक्षण और विपणन सूचना तंत्र'' के अंतर्गत 174.39 लाख रु. की बचत (275.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष ''3601'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' -

(G) "Other Expenditure" -

(a) "Grant to National Agricultural Co-operative Marketing Federation of India Limited for MIS/PSS" - saving of Rs.12500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.50000.00 lakhs) was due to receipt of less claims of reimbursement.

(b) "Supplementation/complementation of States efforts through Work Plan (Macro Management)" - saving of Rs.248.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous years with the implementing agencies and non-finalisation of proposals.

(c) "Strengthening/Promoting Agricultural Information System" - saving of Rs.450.46 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2250.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals/receipt of less proposals.

(d) "Rashtriya Krishi Vikas Yojana (Additional Central Assistance Scheme to State/UT's Plan) Scheme" - saving of Rs.27405.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.158000.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals owing to scheme being formulated as a post budget decision.

(V) Under Major Head "2435" – "Marketing and Quality Control – Other Expenditure – Marketing Research, Survey and Marketing Information Network" - saving of Rs.174.39 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.275.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous years with the implementing agencies.

(VI) Under Major Head "3601" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Grants for Central Plan Schemes" –

(क) ''फसल कृषि कर्म - वाणिज्यिक फसलें - जूट प्रौद्योगिकी मिशन - मिनी मिशन-II'' - 212.52 लाख रु. की बचत (915.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) ''फसल कृषि कर्म - खाद और उर्वरक'' -

(i) ''कार्बनिक खेती के संवर्धन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना'' - 529.87 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों के पास पिछले वर्षों का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(ii) ''उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने संबंधी राष्ट्रीय परियोजना'' - 1895.00 लाख रु. की बचत (1900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीमों को देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' -

(क) ''फसल कृषि कर्म - वाणिज्यिक फसलें - सघन कपास विकास कार्यक्रम और कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन'' - 2699.94 लाख रु. की बचत (7700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) ''फसल कृषि कर्म - विस्तार और कृषक प्रशिक्षण - राज्य विस्तार सेवाओं को सहायता'' - 274.60 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों के पास पिछले वर्षों का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुईं।

(a) "Crop Husbandry – Commercial Crops – Jute Technology Mission – Mini Mission-II" - saving of Rs.212.52 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.915.00 lakhs); and

(b) "Crop Husbandry – Manures and Fertilisers" -

(i) "National Project on Promotion of Organic Farming" - saving of Rs.529.87 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to availability of unspent balances of previous years with the State Governments.

(ii) "National Project on Promotion of balanced use of fertilisers" - saving of Rs.1895.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1900.00 lakhs) was due to late approval of schemes.

(B) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" –

(a) "Crop Husbandry – Commercial Crops – Intensive Cotton Development Programme and Technology Mission on Cotton" - saving of Rs.2699.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7700.00 lakhs); and

(b) "Crop Husbandry – Extension and Farmers Training – Support to State Extension Services" - saving of Rs.274.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to availability of unspent balances of previous years with the State Governments.

(VII) छह शीर्षों के अंतर्गत 460.31 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत से 81 प्रतिशत तक थीं।

(VII) Under six heads savings of Rs 460.31 lakhs occurred, each exceeding Rs 50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 12 percent to 81 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (90377.51 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 13643.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2401'' -

(क) ''बीज - बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण'' - 40744.08 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 40743.48 लाख रु. था।

(ख) ''फसल बीमा'' -

(i) ''राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीमों को लागू करने के लिए जीआईसी/एआईसी को अदायगी'' - 5000.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 4999.90 लाख रु. था।

(ii) ''मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम'' - 5000.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 4999.90 लाख रु. था।

(ग) ''तिलहनों का विकास - एकीकृत तिलहन/तेल पाम/ दलहन और मक्का का विकास'' - 7460.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 7437.58 लाख रु. था।

(घ) ''बागवानी और वनस्पति फसलें'' -

(i) ''राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को सहायता अनुदान'' - 150.00 लाख रु.।

(ii) ''पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में बागवानी के एकीकृत विकास

2.(I) The above savings were partly (Rs.90377.51 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.13643.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head "2401" –

(a) "Seeds – Development and Strengthening of Seed Infrastructure Facilities for Production and Distribution of Seeds" – Rs.40744.08 lakhs. Actual excess, however, was Rs.40743.48 lakhs.

(b) "Crop Insurance" -

(i) "Payment to GIC/AIC for Implementation of National Agricultural Insurance Schemes (NAIS)" – Rs.5000.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.4999.90 lakhs.

(ii) "Weather Based Crop Insurance Scheme" – Rs.5000.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.4999.90 lakhs.

(c) "Development of Oil Seeds – Integrated Oilseed/Oil Palm/ Pulses and Maize Development" – Rs.7460.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.7437.58 lakhs.

(d) "Horticulture and Vegetable Crops" -

(i) "Grants-in-aid to National Horticulture Board" – Rs.150.00 lakhs.

(ii) "Technology Mission on Integrated Development of Horticulture in North East

संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन'' - 21799.84 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 21239.48 लाख रु. था।

(iii) ''बांस प्रौद्योगिकी और व्यापार विकास संबंधी राष्ट्रीय मिशन'' - 6499.77 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 5466.50 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2435'' - ''विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण - अन्य व्यय'' -

(क) ''ग्रामीण गोदामों का निर्माण'' - 1700.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1699.25 लाख रु. था।

(ख) ''विपणन, बाजार अवसंरचना का विकास, श्रेणीकरण और विपणन मानकीकरण'' - 2023.82 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2024.62 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - कृषि और सहकारिता विभाग'' - 121.37 लाख रु. का अधिक व्यय (845.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 4600.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2401'' -

(क) ''विस्तार और कृषक प्रशिक्षण - कृषि विस्तार को जन प्रचार माध्यमों का समर्थन'' - 1286.43 लाख रु. का अधिक व्यय (7700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के कार्यक्रमों का अधिक निर्माण किए

States, Sikkim, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttaranchal" – Rs.21799.84 lakhs. Actual excess, however, was Rs.21239.48 lakhs.

(iii) "National Mission on Bamboo Technology and Trade Development" – Rs.6499.77 lakhs. Actual excess, however, was Rs.5466.50 lakhs.

(B) Major Head "2435" – "Marketing and Quality Control – Other Expenditure" –

(a) "Construction of Rural Godowns" – Rs.1700.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1699.25 lakhs.

(b) "Marketing, Development of Market Infrastructure, Grading and Marketing Standardisation" – Rs.2023.82 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2024.62 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "3451" - "Secretariat – Department of Agriculture and Co-operation" - excess of Rs.121.37 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.4600.00 lakhs including supplementary grant of Rs.845.00 lakhs) was due to implementation of Sixth Central Pay Commission Report.

(B) Major Head "2401" –

(a) "Extension and Farmers Training – Mass Media Support to Agricultural Extension" - excess of Rs.1286.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7700.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and to meet committed urgent

जाने से संबंधित प्रतिबद्ध अत्यावश्यक व्यय को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

(ख) ''कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी - कृषि अर्थशास्त्र नीति और विकास के लिए निवेश संबंधी अध्ययन'' - 447.16 लाख रु. का अधिक व्यय (2800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दिल्ली द्वारा विस्तारित रेंज पूर्वानुमान प्रणाली परियोजना को लागू किए जाने, छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ग) ''बागवानी और वनस्पति फसलें - केंद्रीय बागवानी संस्थान की स्थापना'' - 221.56 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(घ) ''अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - खाद्य और कृषि संगठन'' - 188.71 लाख रु. का अधिक व्यय (870.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अमरीकी डालर और यूरो की दर में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष ''2425'' - ''सहकारी शिक्षा - शिक्षा और प्रशिक्षण की पुनर्गठित स्कीम'' - 500.00 लाख रु. का अधिक व्यय (3000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(घा) मुख्य शीर्ष ''3601'' -

(क) ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' -

(i) ''फसल कृषि कर्म - कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी - कृषि सांख्यिकी का सुधार'' - 785.50 लाख रु. का

expenditure related to increased production of programme of Doordarshan and All India Radio.

(b) "Agricultural Economics and Statistics - Studies on input for Agricultural Economic Policy and Development" - excess of Rs.447.16 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2800.00 lakhs) was due to implementation of extended range forecasting system project by IIT, Delhi, implementation of 6th Central Pay Commission Report and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(c) "Horticulture and Vegetable Crops – Establishment of Central Institute of Horticulture" - excess of Rs.221.56 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(d) "International Co-operation – Food and Agricultural Organisation" - excess of Rs.188.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.870.00 lakhs) was due to increase in rate of US dollar and Euro.

(C) Major Head "2425" – "Co-operative Education – Restructured Scheme of Education and Training" - excess of Rs.500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3000.00 lakhs);

(D) Major Head "3601" –

(a) "Grants for Central Plan Schemes" –

(i) "Crop Husbandry - Agricultural Economics and Statistics – Improvement

अधिक व्यय (4675.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ii) ''फसल कृषि कर्म - कृषि इंजीनियरी'' -

(1) ''किसान के खेत में नव विकसित बागवानी उपस्कर सहित कृषि उपस्कर के प्रशिक्षण और निदर्शन की बाहरी स्रोतों के माध्यम से व्यवस्था'' - 346.30 लाख रु. का अधिक व्यय (367.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(2) ''फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी'' - 169.70 लाख रु. का अधिक व्यय (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से बडी संख्या में प्रस्तावों के प्राप्त होने की वजह से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(iii) ''फसल कृषि कर्म - बीज - बीजों के उत्पादन और संवितरण के लिए बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण'' - 339.67 लाख रु. का अधिक व्यय (3600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' -

(i) ''फसल कृषि कर्म - अन्य अनुदान - कार्य योजना (वृहत प्रबंधन) के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का संपूरण/अनुपूरण'' - 16379.67 लाख रु. का अधिक व्यय (12500.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित

of Agricultural Statistics" - excess of Rs.785.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4675.00 lakhs); and

(ii) "Crop Husbandry – Agricultural Engineering" –

(1) "Outsourcing of training and demonstration of Newly Developed Agricultural Equipment including Horticulture Equipment at Farmer's field" - excess of Rs.346.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.367.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation of funds on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(2) "Post Harvest Technology" - excess of Rs.169.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs) was due to requirement of additional funds owing to receipt of large number of proposals from State Governments.

(iii) "Crop Husbandry – Seeds – Development and Strengthening of Seed Infrastructure Facilities for production and Distribution of Seeds" - excess of Rs.339.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3600.00 lakhs);

(b) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" -

(i) "Crop Husbandry – Other Grants – Supplementation/complementation of States efforts through Work plan (Macro – Management)" - excess of Rs.16379.67 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.75620.00 lakhs including

75620.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ii) "फसल कृषि कर्म - तिलहनों का विकास - एकीकृत तिलहनों, तेल पाम, दलहनों और मक्का का विकास" - 1940.00 लाख रु. का अधिक व्यय (22100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों के किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

supplementary grant of Rs. 12500.00 lakhs); and

(ii) "Crop Husbandry – Development of Oil Seeds – Integrated Oilseed, Oil Palm, Pulses and Maize Development" - excess of Rs.1940.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.22100.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation of funds on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. In the *charged* portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | कुल विनियोग Total appropriation | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "6552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए कर्ज | Major Head "6552" Loans for North Eastern Areas | | | | |
| *मू.* | *O.* | *3100.00* | . . | . . | . . |
| *पु.* | *R.* | *–3100.00* | | | |
| मुख्य शीर्ष "7601" *राज्य सरकारों को कर्ज तथा अग्रिम* | Major Head "7601" *Loans and Advances to State Governments* | | | | |
| *मू.* | *O.* | *15780.00* | . . | . . | . . |
| *पु.* | *R.* | *–15780.00* | | | |

(I) *18880.00 लाख रु.* का *विनियोग* निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष ''6552'' - ''फसल कृषि कर्म - अन्य कर्ज - कार्य योजना (वृहत प्रबंधन) के माध्यम से राज्य प्रयासों का संपूरण/अनुपूरण'' - *3100.00 लाख रु.*; और

(खा) मुख्य शीर्ष ''7601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए कर्ज - फसल कृषि कर्म - अन्य कर्ज - कार्य योजना (वृहत प्रबंधन) के माध्यम से राज्य प्रयासों का संपूरण/अनुपूरण'' - *15780.00 लाख रु.*।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के अनुमोदन से निधीयन पद्धति में परिवर्तन किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (1983.97 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 में प्राप्त किए गए 6568.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 30 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(I) *Appropriation* of *Rs.18880.00 lakhs* remained wholly unutilised in two cases under the following major heads:-

(A) Major Head "6552" – "Crop Husbandry-Other Loans - Supplementation/complementation of States efforts through work plan (Macro Management)" – *Rs.3100.00 lakhs*; and

(B) Major Head "7601" – "Loans for Centrally Sponsored Plan Schemes – Crop Husbandry – Other Loans – Supplementation/Complementation of States efforts through Work Plan (Macro Management)" – *Rs.15780.00 lakhs*.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to change in funding pattern with the approval of Cabinet Committee on Economic Affairs.

4. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (Rs.1983.97 lakhs) constituted 30 percent of the supplementary grant of Rs.6568.00 lakhs obtained in October, 2008 and 13 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष ''4401'' फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head "4401" Capital Outlay on Crop Husbandry | | | | |
| मू. | O. | 2225.00 | | | |
| पू. | S. | 6568.00 | 7973.00 | 7456.00 | –517.00 |
| पु. | R. | –820.00 | | | |

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |
| मुख्य शीर्ष ''4435'' अन्य क षि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head "4435" Capital Outlay on Other Agricultural Programmes | | | | |
| मू. | O. | 200.00 | 37.00 | . . | –37.00 |
| पु. | R. | –163.00 | | | |
| मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas | | | | |
| मू. | O. | 400.00 | . . | . . | . . |
| पु. | R. | –400.00 | | | |

(I) 1121.00 लाख रु. का प्रावधान (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 1100.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.1121.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh) remained wholly unutilised under five heads; of these Rs.1100.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''4401'' - ''खाद और उर्वरक - उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने संबंधी राष्ट्रीय परियोजना'' - 500.00 लाख रु.; और

(A) Major Head "4401" – "Manures and Fertilizers – National Project on Promotion of balanced use of Fertilizers" – Rs.500.00 lakhs; and

(खा) मुख्य शीर्ष ''4552'' - ''फसल कृषि कर्म - बागवानी और वनस्पति फसलें - केंद्रीय बागवानी संस्थान की स्थापना'' - 400.00 लाख रु.।

(B) Major Head "4552" - "Crop Husbandry – Horticulture and Vegetable Crops – Establishment of Central Institute of Horticulture" – Rs.400.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्कीमों को देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to late approval of the schemes.

(गा) मुख्य शीर्ष ''4435'' - ''विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण - अन्य व्यय - बाजार अवसंरचना का विपणन विकास, श्रेणीकरण

(C) Major Head "4435" - "Marketing and Quality Control - Other Expenditure -Marketing

और बाजार मानकीकरण'' - 200.00 लाख रु. प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

Development of Market infrastructure, grading and market standardization" - Rs.200.00 lakhs – due to non-finalisation of proposals.

(II) मुख्य शीर्ष ''4401'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "4401" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''खाद और उर्वरक - केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण'' - 186.90 लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुईं; और

(A) "Manures and Fertilizers – Strengthening of Central Fertilizers Quality Control Institutes" – saving of Rs.186.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs); and

(खा) ''वनस्पति संरक्षण - देश में किए प्रबंधन की प्रवृत्ति का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण'' - 250.20 लाख रु. की बचत (350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Plant Protection - Strengthening and Modernisation of Pest Management approach in the Country" – saving of Rs.250.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.350.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने/कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-finalisation of proposals/receipt of less proposals.

(गा) ''कृषि इंजीनियरी - खेत मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान की स्थापना'' - 282.45 लाख रु. की बचत (415.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लोड कार की खरीद के प्रस्ताव के मूर्तरूप न लेने के कारण हुई।

(C) "Agricultural Engineering – Estt. of Farm Machinery Training and Testing Institute" – saving of Rs.282.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.415.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposal for purchase of load car.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 83.36 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 56 प्रतिशत थी।

(III) Under one head saving of Rs.83.36 lakhs occurred constituting 56 percent of the sanctioned provision.